न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 112/2024

अनवान : –

1. आशीष कुमार पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. जगदीश पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर।
2. मुकेश पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर।
3. सुरेन्द्र कुमार पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
5. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता **सायल**
2. श्री मदनमोहन जोशी अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांक: 26/07/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 23 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 107/91 की कुल 9.6140 हैक्ट भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी भूमि का खाता व लगान मुश्तरका दर्ज है। वाद भूमि का बाहमी बंटवारा हो चुका है तथा मुताबिक घरेलू बंटवारा रोही मौजा चक 23 डीपीएन के प0न0 338/445 के मु0न0 19 के किला न0 16 ता 18, 23, 25 व प0न0 339/445 के मु0न0 18 के किला न0 18 ता 20 व 23 की भूमि पर सायल व दावा में दर्ज प्रतिवादी स0 18 काबिज है उक्त भूमी का सायल ने ने समतल व उपजाउ बना रखा है। गैरसायल स0 1 ता 3 सायल की वाद भूमि पर काबिज होना चाहते है एव सायल की कब्जा काश्त की भूमि मे दखल दे रहे है जिससे सायल को अपूर्णीय क्षति हो रही है अतः गैरसायल संख्या 1 ता 3 को ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की सायल के कब्जा काश्त की भूमि में मदाखलत बैजा न करे एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा 23 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 107/91 के प0न0 338/445 के किला न0 16 ता 28 व 23 ता 25 तथा खाता स0 82 के प0न0 339/445 के मु0न0 18 के किला न0 18 ता 20 व 23 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.07.31 18:34:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

भूमि की अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थी स0 1 ता 3 इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थी स0 1 ता 3 उक्त वाद भूमि की मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की उक्त वाद भूमि कभी भी सायल के कब्जा काश्त में नही रही है। पक्षकारान का कोई बाहमी बंटवारा नही हुआ है केवल मौखिक व मनगढ़त तथ्य है। अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि में रिकार्डेड खातेदार है अगर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो हम हमारे काश्तकारी हकूको से वंचित हो जायेगे केसीसी आदि नही ले सकेंगे हमें अपूर्णीय क्षति होगी तथा भारी नुकसान होगा इसलिए प्रार्थना पत्र सायल खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की उक्त वाद भूमि में से रोही मौजा चक 23 डीपीएन के प0न0 338/445 के मु0न0 19 के किला न0 16 ता 18, 23, 25 व प0न0 339/445 के मु0न0 18 के किला न0 18 ता 20 व 23 की भूमि पर सायल व दावा में दर्ज प्रतिवादी स0 18 काबिज है गैरसायलान अजनबी क्रेता को सायल की कृषि भूमि दिखाकर रहन/बैय करने पर उतारू है तथा सायल के हक हिस्सा की भूमि पर काबिज होना चाहते है जिसके कारण सायल को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा इसलिए गैरसायलान के खिलाफ रहन, बैय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी स0 1 ता 3 ने बहस में कथन किया की वाद खाता विभाजन का है। वाद भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा उक्त वाद भूमि का कभी भी बाहमी बंटवारा नही हुआ है सायल द्वारा बंटवारा के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है केवल मौखिक व मनगढत कथन किया गया है। उक्त बिन्दुओं के मध्यनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत खाता विभाजन मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 23 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 107/91 की कुल 9.6140 हैक्ट भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। मुश्तरका खातेदार काश्तकार अपने हक हिस्सा व किस्म भूमि के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम करवाने का अधिकारी है जो वाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय होना है अप्रार्थीगण द्वारा केवल राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्सा की भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल किया जा रहा है। वाद भूमि संयुक्त [illegible] दर्ज है अप्रार्थी सिर्फ अपने हक व हिस्सा की भूमि को रहन व बैय कर रहे [illegible] ख0न0 को रहन व बैय कर रहे है चूंकि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संयुक्त खातेदार दर्ज [illegible]जस्व रिकार्ड है अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.07.31 18:34:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थी कों। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 28.05.2024 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 26/07/24 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.07.31 18:34:18 IST
Reason: SelfAttested